

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/जिला जज, बागेश्वर।

मोटर दुर्घटना वाद संख्या— 22/2022

रेवती देवी प्रति आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड

24/28.11.2023

पत्रावली पेश। पुकारा गया।

याची रेवती देवी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर मिश्रा न्यायालय उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन0एस0 कोरंगा तथा विपक्षी संख्या 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश चन्द्र आर्या न्यायालय उपस्थित।

साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 02 दर्शन सिंह गड़िया प्रस्तुत। शामिल मिसल हो।

याची साक्षी पी0डब्ल्यू0 02 दर्शन सिंह गड़िया की जिरह अंकित की गयी।

याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 43ख इस इस आशय का प्रस्तुत कि मामले में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज दाखिल किये जाने हैं, आज दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण दाखिल कर पाना सम्भव नहीं है। दस्तावेज दाखिल करने हेतु अगली तिथि प्रदान करने की याचना की गयी। आदेश हुआ कि— **Allowed.**

पत्रावली दिनांक 06.12.2023 को वास्ते याची साक्ष्य पेश हो।

(आर0के0 खुल्बे)

अध्यक्ष, मो0दु0दा0अधि0/
जिला जज, बागेश्वर।